सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

पीठासीन अधिकारी : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	आदेश तिथि
04/2018	धारा 212 (2) RTA	08.02.2018	15.03.2018

मोहीदीन खां पुत्र स्व. जाबदी खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 29, मनोरंजन क्लब के पीछे, चूरू (राज.)

—प्रार्थी—

बनाम

1. सुरेशकुमार पुत्र स्व. घनश्यामचन्द जाति जाट (पूनिया) निवासी वार्ड नं. 24, गांधी कॉलोनी, चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आर.टी.एक्ट

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता श्री नन्दराम राहड़ प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री प्रतापसिंह बीदावत अप्रार्थी

आदेश

प्रार्थी मोहीदीनखां की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि ख. नं. 2315/2148 तादादी 19 विश्वा (0.2403 हैक्टेयर) वाके कस्बा चूरू में स्थित है जिसकी खातेदारी संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर प्रार्थी मोहीदीन खां व अप्रार्थी सुरेशकुमार के नाम से राजस्व अभिलेख में चली आ रही है अप्रार्थी सुरेशकुमार जो प्रभावशाली व झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है जो वादगत कृषि भूमि ख. नं. 2315/2148 की 19 विश्वा कृषि भूमि का सड़क के पास पक्का निर्माण 6 दुकानें दौराने दावा सं. 61/2011 राजस्थान सरकार बनाम मोहीदीनखां सुरेशकुमार अन्तर्गत धारा 111 आर टी एक्ट जिसकी ता पेशी वास्ते साक्ष्य दिनांक 26.02.18 नियत है अप्रार्थी सुरेशकुमार जो दौराने दावा कृषि भूमि को अकृषि कार्य कर दुकानों का निर्माण किया गया है तथा मौके पर निर्माण चालू कर रखा है प्रार्थी/प्रतिवादी मोहीदीनखां द्वारा मना करने पर भी बाज नही आ रहा है। यह कि वादगत कृषि भूमि ख. नं. 2315/2148 तादादी 19 विश्वा वाके रोही कस्बा चूरू में गैर अनुचित रूप से कृषि भूमि में दुकानों का निर्माण अप्रार्थी सुरेशकुमार

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

द्वारा किये जाने पर प्रार्थी मोहीदीनखां द्वारा तहसीलदार महोदय चूरू अप्रार्थी सं. 2 को प्रार्थना पत्र दिनांक 15.01.18 को पेश किया गया जिस पर तहसीलदार महोदय चूरू ने नायब तहसीलदार, गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का से मौका निरीक्षण किया जाकर व वस्तुस्थिति बाबत आदेश दिया गया। नायब तहसीलदार चूरू, पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट मय नक्शा व फर्द मौका दिनांक 16.01.18 को तहसीलदार महोदय चूरू के समक्ष पेश की गई। फर्द मौका रिपोर्ट के वक्त अप्रार्थी सुरेशकुमार को पाबन्द भी किया नव निर्माण बाबत किया परन्तु अप्रार्थी सुरेशकुमार दीवार का निर्माण मौके पर चालू कर रखा है उसको मना करने पर झगड़ा करने को आमदा है। ऐसी स्थिति में वादगत कृषि भूमि ख.नं. 2315/2148 तादादी 19 विश्वा वाके कस्बा चूरू की किस्म व मौके की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण वादगत कृषि भूमि को बहक रिसीवर नियुक्त कर कब्जा में ली जानी कानूनन आवश्यक है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

यह कि दावा सं. 61/2011 राज. सरकार बनाम मोहीदीनखां धारा 177 आर. टी. एक्ट का श्रीमानजी के न्यायालय में जेरकार है ऐसी स्थिति में इस दावा के दौरान वादगत कृषि भूमि ख. नं. 2315/2148 तादादी 19 विस्वा वाके कस्बा चूरू में मौका स्थिति में परिवर्तन कर 6 दुकानों का पक्का निर्माण कृषि भूमि में अप्रार्थी सुरेशकुमार द्वारा किया गया है जो वादगत कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन में निर्माण किया गया है इसलिये वादगत कृषि भूमि को खुर्द बुर्द व नष्ट तथा नवनिर्माण कर रहा है इसलिये बहक सरकार रिसीवर नियुक्त किये जाने का प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन का सिद्धान्त बखुबी साबित व आधार होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी मोहीदीन का स्वीकार योग्य है। यह कि अप्रार्थी सुरेशकुमार जो कि इस मूल दावा सं. 61/2011 में प्रतिवादी सं. 2 है परन्तु दौराने दावा वादगत कृषि भूमि का स्वरूप व मौका स्थिति को परिवर्तन कर रहा है जिस कारण कृषि भूमि का स्वरूप नष्ट, खुर्द बुर्द कर रहा है। यदि मौके पर सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थी निर्माण कर अवरूद्ध कर देगा तो प्रार्थी मोहीदीनखां को अपूर्तिय क्षति होगी तथा राज्य सरकार को भी अपूर्तिय क्षति होगी ऐसी स्थिति में दौराने मूल दावा सं. 61/2011 धारा 177 आर टी एक्ट के निर्णय तक वादगत कृषि भूमि को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादगत कृषि भूमि ख. नं. 2315/2148 तादादी 19 विस्वा वाके कसबा चूरू को कुर्क कर बहक रीसीवर के कब्जे में मूल दावा तक ली जावे।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री प्रतापसिंह बीदावत एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब हेतु समय

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

चाहा गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अप्रार्थी सं. 1 न्यायालय के स्थगन आदेश एवं धारा 177 के प्रकरण के विचाराधीन रहते वादगत भूमि में निर्माण कार्य करवा रहा है जिससे उभय पक्षकारान के मध्य तनाव है एवं विवाद बढ़ने की सम्भावना है। अतः अप्रार्थी का जवाब पेश होने तक अन्तरिम आदेश जारी किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है परन्तु अप्रार्थीगण का जवाब लिया जाना आवश्यक है एवं वर्तमान मौका स्थिति की जानकारी भी पत्रावली पर आना आवश्यक समझते हुए वकील अप्रार्थी को आगामी पेशी पर जवाब आवश्यक रूप से पेश करने हिदायत दी जाकर तहसीलदार, चूरू को प्रश्नगत भूमि की वर्तमान मौका स्थिति की वास्तविक रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। वकील अप्रार्थी सं. 1 इस आधार पर जवाब हेतु बार–बार अवसर व समय की मांग करते रहे कि अप्रार्थी सं. 1 बीमार है परन्तु अप्रार्थी की बीमारी का कोई उचित तथ्य पेश नहीं किया। अन्ततः दिनांक 05.03.18 को स्वतः बन्द की शर्त पर अन्तिम अवसर दिया जाकर तारीख पेशी दिनांक 08.03.2018 नियत की गई परन्तु नियत दिनांक को वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया जिस पर अप्रार्थी का जवाब अवसर स्वतः बन्द माना जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। तहसीलदार, चूरू की ओर से मौके की वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो पत्रावली में शामिल की गई। नियत दिनांक को प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु वकील अप्रार्थी को न्यायालय समय में बार–बार आवाजें लगाई गई परन्तु वकील अप्रार्थी सं. 1 बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए जिस पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि प्रश्नगत कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि है जिसका अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इस कृषि भूमि से सम्बन्धित खाता विभाजन का दावा प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में दायर किया हुआ है जिसमें प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2017 को जारी होकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये हैं। उक्त डिक्री की पालना पर माननीय न्यायालय आर.ए.ए. बीकानेर का स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है तथा तहसीलदार, चूरू की ओर से अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का प्रकरण भी न्यायालय में लम्बित है। इस प्रकार दो–दो प्रकरणों के विचाराधीन रहते एवं न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद अप्रार्थी सं. 1 वादगत कृषि भूमि पर बिना विधिवत विभाजन कराये बिना किसी हक अधिकार के व बिना राजकीय अनुमति के पक्का निर्माण कर दुकानें बना रहा है एवं कृषि भूमि की प्रकृति व स्वरूप को बदलने का प्रयास कर रहा है जिससे प्रार्थी व राज्य सरकार को भारी हानि की सम्भावना स्पष्ट प्रतीत हो रही है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा किये जा रहे उक्त निर्माण से प्रार्थी का हित प्रभावित हो रहा है। उक्त निर्माण को लेकर दोनों पक्षकारों के बीच तनाव है तथा विवाद बढ़ने की पूरी–पूरी सम्भावना है जिसकी पुष्टि तहसीलदार, चूरू की ओर से पेश दो जांच रिपोर्ट मय मौका रिपोर्ट व फर्द मौका से स्पष्ट रूप से होती है। चूंकि प्रार्थी उक्त वादगत कृषि भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है। यदि अप्रार्थी सं. 1 अपने उक्त कृत्य में सफल हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्तिय क्षति होगी तथा प्रार्थी न्याय से वंचित रह जायेगा। अप्रार्थी के इस कृत्य से राज्य सरकार को भी भारी हानि होने की सम्भावना है। प्रार्थी का विभाजन का दावा भी न्यायालय में विचाराधीन है तथा प्रार्थी इस कृषि भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

इस प्रकार वादगत कृषि भूमि से सम्बन्धित खाता विभाजन का दावा एवं धारा 177 के प्रकरण के विचाराधीन रहते अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त भूमि पर करवाये जा रहे निर्माण को लेकर दोनों पक्षों में तनाव है तथा विवाद बढ़ने की सम्भावाना है। इसलिए दोनों पक्षकारों के मध्य तनाव व विवाद एवं प्रार्थी व राज्य सरकार को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुए ता फैसला दावा इस कृषि भूमि को कुर्क कर कब्जा बहक सरकार लेना अति आवश्यक है। अतः वादगत कृषि भूमि ख.नं. 2315/2148 तादादी 19 विश्वा वाके रोही कस्बा चूरू को कुर्क कर कब्जा बहक सरकार लेकर ता फैसला दावा रिसीवर नियुक्त किया जावे ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली व पेश दस्तावेज एवं मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 कस्बा चूरू ख.नं. 2315/2148 तादादी 0.2403 हैक्टेयर में वर्तमान में प्रार्थी मोहीदीनखां व अप्रार्थी सं. 1 सुरेशकुमार 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार दर्ज हैं। उक्त जमाबन्दी से यह स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी की अवभिाजित कृषि भूमि है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित एवं वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में किये गये कथन के अनुसार इस भूमि से सम्बन्धित दो प्रकरण विभाजन व धारा 177 के तहत इस न्यायालय में विचाराधीन बताये गये हैं, जो कथन न्यायालय के अभिलेख के अनुसार सही हैं। उक्त कृषि भूमि पर न्यायालय में विचाराधीन विभाजन दावा सं. 96/2011 मोहीदीनखां बनाम सुरेशकुमार आदि में प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2017 को जारी हो चुकी है जिसकी पालना पर माननीय आर.ए.ए. न्यायालय, बीकानेर का स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। इसी भूमि से सम्बन्धित प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान सरकार बनाम मोहीदीनखां आदि जो तहसीलदार, चूरू की ओर से पेश किया गया है, इस न्यायालय में जेरकार है। प्रार्थना पत्र के संलग्न छाया प्रति प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.01.2018 एवं उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी प0मं0 चूरू दिनांक 16.01.2018 एवं फर्द मौका नायब तहसीलदार, चूरू दिनांक 16.01.2018 से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी सं. 1 उक्त कृषि भूमि पर न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश एवं दावों के विचाराधीन रहते बिना किसी पूर्वानुमति व बिना विधिवत विभाजन कराये अवैध रूप से निर्माण कर रहा है जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के मध्य तनाव व विवाद होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। तहसीलदार, चूरू की ओर से दिनांक 12.03.2018 को प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट मय पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक कस्बा चूरू की रिपोर्ट के अवलोकन से पूर्व में पेश की गई मौका रिपोर्ट की ताईद होती है। इस रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि "वर्तमान में उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में प्लॉटिंग का कार्य कर दीवार बनाकर गेट लगा हुआ है व दीवार करीब पांच फुट के करीब है।" आगे अंकित किया है कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में मौके पर पक्षकारान के मध्य विवाद बढ़ने की सम्भावना प्रतीत होती है। इस प्रकरण के अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं परन्तु उन्होंने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया तथा ना ही बहस के समय उपस्थित हुए हैं जबकि अप्रार्थी को काफी अवसर भी इस हेतु न्यायालय द्वारा दिये गये हैं। अप्रार्थी अभिभाषक ने यह कथन करते हुए समय की मांग की है कि अप्रार्थी बीमार है परन्तु अप्रार्थी की बीमारी से समबन्धित कोई तथ्य पेश नहीं किया है जिसको बिना किसी आधार के आवश्यक प्रकृति के प्रकरण में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसी स्थिति में यही परिलक्षित होता है कि अप्रार्थी जानबूझकर उपस्थित नहीं आया एव ना ही उसके अभिभाषक बहस के समय

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उपस्थित हुए हैं। वादगत कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि होने से तथा प्रार्थी इस भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बिना विभाजन एवं बिना किसी सक्षम स्वीकृति के उक्त कृषि भूमि पर निर्माण किया जाने से प्रार्थी को अपूर्तिय क्षति होने की सम्भावना भी स्पष्ट है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा कृषि भूमि पर पक्का निर्माण करने से उसके द्वारा अकृषि कार्य कर भूमि की कृषि प्रकृति का स्वरूप परिवर्तित होना भी परिलक्षित है जिससे प्रार्थी के साथ–साथ राजस्थान सरकार को भी राजकीय हानि होने की सम्भावना भी स्पष्ट प्रतीत होती है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी ने अपने खातेदारी हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने का दावा भी न्यायालय में पेश कर रखा है जिसमें प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2017 को जारी हो चुकी है तथा भूमि धारक की हैसियत से तहसीलदार, चूरू द्वारा धारा 177 आर.टी.ए. के तहत प्रकरण भी दायर किया हुआ है जो जेरकार है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय आर.ए.ए. बीकानेर द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है फिर भी अप्रार्थी सं. 1 द्वारा नियमों के विपरीत उक्त भूमि पर मनमाने तरीके से पक्का निर्माण किया गया है जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के मध्य तनाव व विवाद है तथा विवाद बढ़ने की सम्भावना प्रतीत होती है। इसलिए जब तक उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित खाता विभाजन का दावा एवं प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का अन्तिम रूप से निस्तारण नहीं हो जाता तब तक इस कृषि भूमि को कुर्क कर कब्जा बहक सरकार लेकर रिसीवर नियुक्त किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होने एवं राज्य सरकार को होने वाली राजकीय हानि के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 2315/2148 तादादी 0.2403 हैक्टेयर रोही कस्बा व तहसील चूरू को ता फैसला दावा कुर्क किया जाकर तहसीलदार, चूरू को इस कृषि भूमि का रिसीवर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त कृषि भूमि को कुर्क कर कब्जा बहक सरकार लेवें एवं ता फैसला दावा रिसीवरी के समस्त कार्य अंजाम देवें।

आदेश आज दिनांक 15.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू